

20

कमुलाय फाटीकेन उपस्थित अधिकारी  
ने कार्य समाप्त किया हुआ है। प्रार्थना  
पत्रना है दि० ५.१.१/२० को पेश होगी।

५

05/08/2020

प्रार्थिया के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेश  
हुई। प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र पेश कर अपना  
वाद खारिज कर लिया है। इसलिए प्रार्थना  
पत्र अन्तर्गत धारा २।२ राजस्थान काश्तकारी  
अधि. भी खारिज किया जाता है। पत्रावली  
फैलन शुमार डेकर नम्बर से कम है तथा  
वाद तकनीक संलग्न वाद है।

वसुदेव  
5.8.2020

~~क~~ 05/08/2020.

उपसुण्ड अधिकारी  
कोटकासिम (अलवर)

